*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक*

पत्रांक–2ब०/विविध–26–05/2007 155 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**कार्यपालक पदाधिकारी,**
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक– 23-3-18

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर के पत्रांक– 114, दिनांक– 08.02.2018 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर सफाई व्यवस्था सहित अन्य विभिन्न कार्यों हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०– 154, दिनांक 23-3-18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटित की जाती है।

2. आवंटित कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक–428, दिनांक–31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

5. आवंटित राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल–जल तथा सफाई, लघुशीर्ष– 193–नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष– 0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215021930102,** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. ***क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।***

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

23.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/विविध–26–05/2007 155 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 23/03/18

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

पत्रांक–2ब०/विविध–26–05/2007 154 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–23/03/18

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

**आदेशः–** **स्वीकृत।**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर के पत्रांक– 114, दिनांक– 08.02.2018 द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर सफाई व्यवस्था सहित अन्य विभिन्न कार्यों हेतु राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत मलमास मेला, 2018 के अवसर पर विभिन्न कार्यों हेतु कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

***इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।***

2. स्वीकृत कुल ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

5. स्वीकृत राशि ₹50.00 लाख (पचास लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 02–मल–जल तथा सफाई, लघुशीर्ष– 193–नगर पंचायतो/अधिसूचित क्षेत्र समितियों अथवा उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष– 0102–नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2215021930102,** विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

6. ***क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।***

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. राशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि उक्त कार्यों का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/विविध–26–05/2007 के पृष्ठ सं०–......75....../टि० पर दिनांक–...20-3-2018... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......76....../टि० पर दिनांक–...21-3-2018 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

23.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/विविध–26–05/2007 154 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23-3-18

**प्रतिलिपिः**– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**